

23/3/22

पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय को
दिनांक 17/9/21 को पेश हो

16/9

पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय को है।
अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 17/9/21 को पेश हो

17/9

पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय को है।
अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 21-9-22 को पेश हो

21/9 पत्रावली पेश हुई अभिभवकगण ने न्यायालय कार्य का वहिष्कार/स्थगन कर रखा है।
अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 25/11/22 को पेश हो

25/11 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी महोदय को है।
अतः पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 11/11/22 को पेश हो

11.11.22

पत्रावली पेश हुई) वकील शर्मा (गणस्थित) द्वारा शर्मा के उपस्थित होकर निवेदन किया कि ग्राम बड़ागाँव के जमा सं 391, 393 में जौरेदार शर्मा का नाम रामप्रताप पुत्र रामलाल की जगह प्रताप पुत्र रामलाल किया जाना उचित है। शर्मा का इसमें कोई दावत नहीं है। उपरोक्त कारण की वदम संबंध की गई। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात का खिलोकन किया गया तथा वदम पर मनन किया गया। पत्रावली का खिलोकन एवं वदम पर मनन करने के पश्चात पाते हैं कि शर्मा प्रताप एवं रामप्रताप एक ही व्यक्ति के नाम हैं उक्त निवेदन से शर्मा द्वारा प्रस्तुत शर्मा पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं चापेचित प्रतीत होता है।

निर्णय

शर्मा द्वारा प्रस्तुत शर्मा पत्र क्र. थारा 1366R मल स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बड़ागाँव के जमा सं 391, 393 के राजस्व रिकार्ड में शर्मा का नाम रामप्रताप पुत्र रामलाल के स्थान पर

श्रीमान् श्री शर्मा
खाता सं. 391
ग्राम बड़ागाँव
में जौरेदार
का नाम राम
प्रताप पुत्र
रामलाल
की जगह
प्रताप पुत्र
रामलाल
माना उचित है।
शर्मा का कोई
दावत नहीं है।
11/11/22



2/11

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालना के क्रमांक व दिनांक
	<p>पुत्राप पुत्र रामलाल दुलस्त / शुद्ध किराये जाने का जोफरा दिया जाता है। तदनुसार तदलीलदार शुद्धागोदारी रिकार्ड में नाम दुलस्त करे। उक्त खाता सं. के शीष इन्द्राज बदस्तुर रहेगी। त्रिणिपि आज दिनांक 11.11.22 के मेरे द्वारा खुले न्यायालय में जुनाया गया।</p> <p>पुत्रावली फैसल जुमार होकर नम्बर है कम है तथा दायित्व दफ्तर है।</p> <p style="text-align: right;">X W E - 11.11.22</p>	